

आयकर आयुक्त, हरियाणा और:

चंडीगढ़,—आवेदक।

बनाम:

चमन लाल, प्रतिवादी।

आयकर संदर्भ संख्या 1977 का 28.

9 जुलाई 1985.

वित्त अधिनियम, (1972 का XVI) द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम (1961 का XLII) - धारा 2(24) (ix), 5(1), 10(3), 56(2)(ib)। 1948 और 276-बी-करदाता, भारत का निवासी-किसी विदेशी देश में लॉटरी से जीत-क्या ऐसे निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया जाना चाहिए-ऐसी जीत-चाहे आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की हो।

माना गया कि आय की परिभाषा में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(24)(ix) के अनुसार लॉटरी से जीत शामिल है। भले ही ऐसी आय भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होती है, फिर भी कुल की गणना करते समय इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए धारा 5(एल)(सी) के मद्देनजर भारत के निवासी की आय और ऐसी आय को धारा 56(2)(बी) द्वारा प्रदान किए गए अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में माना जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 10(3) को 1972 के वित्त अधिनियम द्वारा भी संशोधित किया गया था और संशोधन से पहले लॉटरी से आय, भले ही भारत में प्राप्त हुई हो, को "आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की रसीदें" माना जा रहा था और कर योग्य नहीं था। धारा 10(2) के संशोधन द्वारा, लॉटरी से जीत को विशेष रूप से आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की प्राप्तियों के रूप में माने जाने के दायरे से बाहर कर दिया गया। यदि भारत का कोई निवासी आय प्राप्त करता है, चाहे वह देश के भीतर से या देश के बाहर से हो, तो धारा 5(1) के दायरे में कुल आय का मूल्यांकन करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए और खंड (सी) के तहत ऐसा करते समय आय पर विचार किया जाना चाहिए। भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होने पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए, भारत के बाहर लॉटरी से प्राप्त आय को निर्धारिती की आय का हिस्सा बनाना होगा और इसे अधिनियम की धारा 10(3) के मद्देनजर आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की आय नहीं माना जा सकता है।

(पैराग्राफ 8)

निर्णय, कि धारा 194(बी) और 276(बी) भारत में लॉटरी व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों या अधिकारियों पर लागू होगी, लेकिन किसी विदेशी देश में ऐसा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों या अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। ये दोनों धाराएं विदेशों में ऐसे प्राधिकरणों पर लागू नहीं होंगी क्योंकि अधिनियम के प्रावधान उनकी सीमा तक विस्तारित नहीं होते हैं। लेकिन इससे, यह-

यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि चूंकि ये धाराएं उन पर लागू नहीं होती हैं, लॉटरी से जीत के आधार पर विदेशों में रहने वाले किसी भारतीय द्वारा प्राप्त रसीदें अभी भी आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की रसीदों के रूप में बनी रहेंगी। इस प्रकार, यह निर्णय लिया गया है, कि एक करदाता की विदेशी देश में लॉटरी से जीत आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की नहीं है और धारा 5 (एल) (सी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा के तहत उसकी आय प्रभाय है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (चंडीगढ़ बेंच) द्वारा आईटीए से उत्पन्न एक मामले में राय मांगने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को भेजा गया संदर्भ। नहीं। 1975-76 का 203, आर.ए. नहीं। निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए 1976-77 का 158. -

क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अपीलीय न्यायाधिकरण यह मानने में सही था कि करदाता की सिक्किम (प्रासंगिक समय में विदेशी देश) में लॉटरी से जीत भारत में आयकर के दायरे में आने वाली उसकी

आय नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 10(2)/56(2) (आईबी)/2(24) (ix) के तहत, वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा संशोधित ईएफपीई, (ii) क्या तथ्यों पर और परिस्थितियों में मामले में, अपीलीय न्यायाधिकरण का यह मानना कानूनन सही था कि धारा 5(एल)(ए) के प्रावधान प्राप्त लॉटरी जीत पर गंगटोक में निर्धारिती द्वारा लागू नहीं थे।

गोकल चंद मितल, जे.-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 (यहां अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 1256(1) के तहत, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (चंडीगढ़ बेंच) ने इस न्यायालय की राय के लिए कानून के निम्नलिखित दो प्रश्नों को संदर्भित किया है:

(2) क्या अपीलीय न्यायाधिकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह मानना सही था कि करदाता की सिक्किम (प्रासंगिक समय में विदेशी देश) में लॉटरी से जीत उसकी आय को भारत में आयकर की धाराओं के तहत प्रभार्य नहीं बनाती है। वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के 10(3)/56(2)(आईबी)/2(24)(ix)।

(3) क्या, 1 तथ्यों और 1 मामले की परिस्थितियों पर, अपीलीय न्यायाधिकरण यह मानने में सही था कि धारा 5 (1) (ए) के प्रावधान गंगटोक में निर्धारिती द्वारा प्राप्त लॉटरी जीत पर लागू नहीं थे।

(2) चानचमन लायर (बाद में इसे जेसेसेसी कहा जाएगा) ने वर्ष 1972-73 के दौरान अंबाला कैंट से सिक्किम सरकार का एक लॉटरी टिकट खरीदा। प्रतिनिधि गंगटोक में, 17 सितंबर, 1972 को लॉटरी ड्रा आयोजित किया गया था, जिसमें निर्धारिती को एक लाख रुपये के लॉटरी पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। दस हजार रुपये एजेंट का कमीशन और रुपये काटने के बाद। विक्रेता के कमीशन के रूप में 2,500 रुपये, कुछ बैंक कमीशन काटने के अलावा, निर्धारिती को रुपये का भुगतान किया गया था। 87,412.50 बैंक ड्राफ्ट संख्या द्वारा। 10373, दिनांक 25 अक्टूबर 1972, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक पर स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, गंगटोक द्वारा निकाला गया। एक लाख रुपये के पुरस्कार के अलावा, यूएसए की यात्रा के लिए हवाई टिकट का अतिरिक्त पुरस्कार था। निर्धारिती ने यूएसए की यात्रा करने के बजाय हवाई टिकट भुना लिया। और इस प्रकार उसे रु. रुपये काटने के बाद 7,902 रुपये। 8 बैंक शुल्क के रूप में, डिमांड ड्राफ्ट संख्या द्वारा। 10401, दिनांक 30 अक्टूबर, 1972। निर्धारिती ने अंततः ड्राफ्ट को भारतीय स्टेट बैंक, अंबाला कैंट में अपने खाते में जमा कर दिया।

(3) मूल्यांकन वर्ष 1973-74 के दौरान, निर्धारिती ने आय का रिटर्न दाखिल किया और दावा किया कि रुपये की राशि। 95,412 (रु. 87,412 + रु. 8,000) एक आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की रसीद थी और इसलिए, कर से मुक्त थी। इस तर्क को आयकर अधिकारी ने इस तर्क पर स्वीकार नहीं किया कि निर्धारिती भारत का निवासी था और धारा 5 के तहत, भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय भी उसके हाथों में कर योग्य थी, जैसा कि धारा 2 (24) में निहित आय की परिभाषा है।), - खंड (ix) में लॉटरी से जीतना शामिल था और इसलिए, अन्य स्रोतों से आय के रूप में धारा 56 के तहत कर लगाया जाना था। परिणामस्वरूप, उपरोक्त राशि को आय की गणना और कर निर्धारण में शामिल किया गया था।

(4) निर्धारिती ने अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील में आदेश को चुनौती दी जहां निर्धारिती असफल रहा। फिर भी व्यथित महसूस करते हुए, उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील में मामला उठाया। ट्रिब्यूनल ने, दिनांक 31 जुलाई, 1976 के आदेश (अनुलग्नक 'सी' की प्रतिलिपि) द्वारा इसकी अनुमति दी? लॉटरी के तहत दावा की गई राशि के संबंध में अपील की और माना कि पूरी राशि रु 95,412 कर योग्य नहीं था। ट्रिब्यूनल के शब्दों में, राहत देने में निम्नलिखित तर्क अपनाया गया। -

"धारा 2(24) में उप-खंड (ix) और धारा 56(2) में उप-खंड (ib) को शामिल करने और इसके प्रतिस्थापन का प्रभाव

धारा 10(3) भारत में लॉटरी से जीत पर कर लगाने के लिए है। कानून में ये बदलाव किसी विदेशी देश में लॉटरी से जीत की प्रकृति को नहीं बदल सकते। धारा 2(24) में उप-खंड (ix) और धारा 56(2) में उप-खंड (ib) जोड़ने

और धारा 10(3) के प्रतिस्थापन के बावजूद, किसी विदेशी देश में लॉटरी से जीत बरकरार रहेगी उनका चरित्र आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की प्राप्तियों के रूप में है। यह तथ्य कि ये धाराएं केवल भारत में जीत के संबंध में लागू होंगी, धारा 194(सी) के संचालन से स्पष्ट होगी, जिसे 1 अप्रैल 1972 से वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा भी शामिल किया गया था। यह धारा बताती है कि " किसी भी व्यक्ति को किसी भी लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली से जीतकर एक हजार रुपये से अधिक की आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, उसके भुगतान के समय, लागू दरों पर उस पर आयकर काट लेगा। सिक्किम सरकार इस धारा से बंधी नहीं है। धारा 276-बी में कहा गया है कि "यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के कटौती करने में विफल रहता है या अध्याय XVII-बी (धारा 194-बी अध्याय का एक हिस्सा बनता है) के प्रावधानों के तहत आवश्यक कर का भुगतान करने में विफल रहता है" कारावास से दंडनीय होगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।" इस धारा का प्रावधान किसी विदेशी देश के उस व्यक्ति पर भी लागू नहीं किया जा सकता जो लॉटरी में जीत के कारण भुगतान करता है। हमारी राय में, कानून में बदलाव जिसके द्वारा लॉटरी से जीत को कर के दायरे में लाया गया है, केवल उन लॉटरी के संबंध में है जिनके संबंध में भारत में पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। कानून में बदलाव के बावजूद, विदेशों में लॉटरी से जीत एक आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की रसीद होगी। इस तर्क पर हम मानते हैं कि पिछले वर्ष के दौरान भारत के बाहर निर्धारिती को अर्जित या उत्पन्न हुई आय और, इसलिए, रुपये की राशि। धारा 5(एल)(सी) के प्रावधानों के संदर्भ में 95,412 कर योग्य नहीं है।"

(5) वैकल्पिक रूप से, राजस्व की ओर से ट्रिब्यून के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी कि अधिनियम की धारा 5(एफएल)(ए) का प्रावधान लागू था और चूंकि लॉटरी राशि भारत में प्राप्त हुई थी, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कर की गणना में निर्धारिती की आय के रूप में। इस तर्क को इन मसौदों के कारण खारिज कर दिया गया गंगोक में निर्धारिती को प्रश्न प्राप्त हुए थे। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध, अधिनियम की धारा 256(1) के तहत उस प्रश्न के संबंध में संदर्भ मांगा गया था, जिसे 15 जनवरी 1977 के आदेश द्वारा इस न्यायालय को संदर्भित किया गया है, जिसे इसके शुरुआती भाग में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(6) कानून के प्रश्न की सराहना करने के लिए, जो पहले प्रश्न में उठता है, निम्नलिखित प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा। -

"2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(24) "आय" में शामिल हैं-

(ix) लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, घुड़दौड़ सहित दौड़, कार्ड गेम और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों से या किसी भी प्रकार या प्रकृति के जुए या सट्टेबाजी से कोई भी जीत।"

"5(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निवासी व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय शामिल है -

(ए) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसे वर्ष में भारत में प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया गया माना जाता है; या:

(बी) ऐसे वर्ष के दौरान भारत में अर्जित या उत्पन्न हुआ या अर्जित या उत्पन्न माना गया; या (सी) ऐसे वर्ष के दौरान भारत के बाहर उसे अर्जित या उत्पन्न होता है;

10. किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में, निम्नलिखित में से किसी भी खंड के अंतर्गत आने वाली किसी भी आय को शामिल नहीं किया जाएगा-;

(3) कोई भी रसीद जो आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की हो, लॉटरी से जीत की सीमा तक न हो, ऐसी प्राप्तियाँ कुल मिलाकर एक हजार रुपये से अधिक नहीं होती हैं।"

"56(2) विशेष रूप से, और उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित आय "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत आयकर के लिए प्रभाय होगी, अर्थात्: -

(आईबी) धारा 2 के खंड (24) के उप-खंड (ix) में निर्दिष्ट आय।"

194-बी. किसी भी व्यक्ति को किसी लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली से जीत के माध्यम से एक हजार रुपये से अधिक की आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, भुगतान के समय, लागू दरों पर उस पर आयकर काट लेगा।

बशर्ते कि 1 जून, 1972 से पहले किए गए किसी भी भुगतान से इस धारा के तहत कोई कटौती नहीं की जाएगी।

"276-बी. यदि कोई व्यक्ति, उचित कारण या बहाने के बिना, कटौती करने में विफल रहता है, या कटौती करने के बाद, धारा 80-ई की उप-धारा (9) के प्रावधानों के तहत आवश्यक कर का भुगतान करने में विफल रहता है।

"या अध्याय XVII-बी, वह दंडनीय होगा, -

(i) ऐसे मामले में जहां कर की राशि जिसे वह काटने या भुगतान करने में विफल रहा है, एक लाख रुपये से अधिक है, जिसमें कठोर कारावास की सजा होगी जो छह महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ;

(ii) किसी भी अन्य मामले में, कठोर कारावास, जिसकी अवधि तीन महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना होगा।"

(7) वित्त अधिनियम, 1972 के लागू होने से पहले, लॉटरी से प्राप्त आय न तो "आय" के दायरे में आती थी और न ही "अन्य स्रोतों से आय" के दायरे में आती थी। 1 अप्रैल 1972 से वित्त अधिनियम 1972 द्वारा आवश्यक संशोधन किए गए, जिन्हें लॉटरी से जीत के संबंध में ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। अनुभाग में निहित परिभाषा के आधार पर अधिनियम के 2(24)(ix) में लॉटरी से जीत को विशेष रूप से शामिल किया गया है, अधिनियम के 2(24)(ix) में, लॉटरी से जीत को विशेष रूप से आय की परिभाषा में शामिल किया गया है। धारा 4 चार्जिंग धारा है और धारा 5(1) बताती है कि एक निवासी की कुल आय का मूल्यांकन कैसे किया जाना है और ऐसा करते समय खंड (ए) (बी) और (सी) के तहत उसके द्वारा प्राप्त किसी भी स्रोत से सभी आय) संज्ञान लिया जाए. खंड (सी) विशेष रूप से यह प्रदान करता है कि भारत के बाहर के निवासी को अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय को कुल आय की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, आय की परिभाषा में लॉटरी से जीत भी शामिल है। धारा 56(2)(आईबी) विशेष रूप से घोषित करती है कि लॉटरी से जीत से प्राप्त आय "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत आयकर के दायरे में आएगी। इन प्रावधानों पर, ट्रिब्यूनल ने सही ठहराया है कि* 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। 1972, यदि भारत के किसी निवासी को भारत में लॉटरी पुरस्कार मिलता है, तो उसे "अन्य स्रोतों से आय" माना जाएगा और उस पर कर लगाया जाएगा। चूंकि वर्तमान मामले में लॉटरी विदेशी देश की थी और करदाता को आय भारत के बाहर प्राप्त हुई। यह माना गया कि उपरोक्त उद्धृत संशोधित प्रावधानों के बावजूद ऐसी आय को "आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की रसीदों" के दायरे से बाहर नहीं किया गया था। ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया पहला तर्क यह है कि कानून में बदलाव से किसी विदेशी देश में लॉटरी से जीत की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है और दूसरी बात यह है कि बदली हुई धाराएं भारत में जीत के संबंध में लागू होती हैं और धारा 194-बी में निहित प्रावधान हैं और 276-बी विदेशी सरकारों को बाध्य नहीं करता है और उन प्रावधानों को विदेशी देश में किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता है जो लॉटरी से जीत के कारण भुगतान करता है।

(81) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले पर विचार करने के बाद, हम इस राय पर सहमत हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा पहली सुनवाई में पूरी तरह से गलत कानून लिया गया है। आय की परिभाषा में सेकंड के

अनुसार लॉटरी से जीत शामिल है धारा 2(24)(ix): भले ही ऐसी आय भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होती है, फिर भी उसे धारा 5(एलटी(सीएल) के मद्देनजर भारत के निवासी की कुल आय की गणना करते समय इस पर ध्यान देना होगा और ऐसी आय को ध्यान में रखना होगा धारा 56(21)(आईबीएल) के प्रावधान के अनुसार अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में माना जाएगा। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष निकालने में कानून की गंभीर गलती की है कि कानून में बदलाव से विदेशी लॉटरी से जीत की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। देश और उन्होंने आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की प्राप्तियों के रूप में अपना चरित्र बरकरार रखा। हालांकि अधिनियम की धारा 10(21) का संदर्भ दिया गया था, फिर भी ट्रिब्यूनल ने इसका सही अर्थ नहीं समझा। अधिनियम की धारा 10(3) थी 1972 के वित्त अधिनियम द्वारा भी संशोधित किया गया, और 'संशोधन से पहले, लॉटरी से होने वाली आय, भले ही भारत में प्राप्त हुई हो, को "आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की 1 प्राप्तियां" माना जा रहा था और कर योग्य नहीं थी। धारा 10(3) के संशोधन द्वारा, लॉटरी से जीत को विशेष रूप से आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की प्राप्तियों के रूप में माने जाने के दायरे से बाहर कर दिया गया। यदि भारत का कोई निवासी आय प्राप्त करता है, चाहे वह देश के भीतर से या देश के बाहर से हो, तो धारा 5(1) के दायरे में कुल आय का मूल्यांकन करते समय और खंड (सी) के तहत ऐसा करते समय आय पर विचार किया जाना चाहिए। भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होने पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए, कोई यह समझने में विफल रहता है कि भारत के बाहर लॉटरी से प्राप्त आय उपरोक्त उद्धृत धाराओं के दायरे में कैसे नहीं आती है और इसे धारा 10 के तहत आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की आय के रूप में कैसे माना जा सकता है (3) लॉटरी से जीत को आकस्मिक या गैर-आवर्ती प्रकृति की आय नहीं माना जाना चाहिए।

(9) हम अधिनियम की धारा 194-बी और 276-बी की सराहना करते हुए ट्राइब के तर्क में भी गंभीर दोष पाते हैं। धारा 194-बी लॉटरी की जीत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कटौती करने का कर्तव्य तय करती है। जब भी सभी लॉटरी की जीत रुपये से अधिक हो तो लागू दरों पर आयकर। 1,000. धारा 198 में प्रावधान है कि निर्धारित की आय की गणना के उद्देश्य से ऐसी कटौतियाँ प्राप्त आय मानी जाएंगी। धारा 199 में प्रावधान है कि जब ऐसी कटौती का भुगतान केंद्र सरकार को किया जाता है तो इसे उस व्यक्ति की ओर से कर का भुगतान माना जाएगा जिसकी आय से कटौती की गई थी और उस पर कटौती की गई राशि के लिए उसे क्रेडिट दिया जाएगा। धारा 203 के तहत प्रस्तुत प्रमाण पत्र का उत्पादन। धारा 200 कर कटौती करने वाले व्यक्ति पर निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार को भुगतान करने का कर्तव्य बताती है। धारा 276-बी में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति उचित कारण या बहाने के बिना, कटौती करने में विफल रहता है या कटौती के बाद, धारा 80-ई या अध्याय XVII की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत आवश्यक कर का भुगतान करने में विफल रहता है- बी, वह उप-धारा (1) और (ii) में दिए गए प्रावधान के अनुसार दंडनीय होगा। धारा 194-बी और 276-बी भारत में लॉटरी का कारोबार करने वाले व्यक्तियों या प्राधिकारियों पर लागू होगी, लेकिन किसी विदेशी देश में लॉटरी का कारोबार करने वाले व्यक्तियों या प्राधिकारियों पर लागू नहीं होगी। ये दोनों धाराएं विदेशों में ऐसे प्राधिकरणों पर लागू नहीं होंगी क्योंकि अधिनियम के प्रावधान उनकी सीमा तक विस्तारित नहीं होते हैं। लेकिन इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि चूंकि धारा 194-बी और 276-बी का विस्तार उन पर नहीं है, किसी भारतीय निवासी द्वारा विदेशों में प्राप्तियों के आधार पर लॉटरी से जीत, चरित्र अभी भी आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की प्राप्तियों के रूप में जारी रहेगी। तदनुसार, हम मानते हैं कि ट्रिब्यूनल ने यह मानने में कानून की गलती की है कि सिक्किम (प्रासंगिक समय में विदेश) में लॉटरी से करदाता की जीत आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की थी और धारा 5 के तहत उसकी आय का गठन नहीं किया गया था(एल)(सी) अधिनियम की धारा 10(3), 56(2)(आईबी) और 2(24)(ix) के साथ पढ़ें। तदनुसार, हम पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देते हैं, अर्थात् राजस्व के पक्ष में और निर्धारित के विरुद्ध।

(10) प्रश्न संख्या के हमारे उत्तर को ध्यान में रखते हुए। 1 और इस तथ्य के कारण कि प्रश्न संख्या पर विस्तृत तर्कों को संबोधित नहीं किया गया था। 2, प्रश्न संख्या. 2 अनुत्तरित रह गया है।

(11) संदर्भ लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के निपटाया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र